

141

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-21/2020- 875 व०प०, राँची, दिनांक- 08/03/2021

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स बी०सी०सी०एल० का कुईया कोलयरी हेतु मौजा-बेरा में कुल 16.49 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-346 दिनांक-12.02.2021 एवं पत्रांक-290 दिनांक-05.02.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए निराकरण प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं०-5-2/2017-FC दिनांक-28.03.2019 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत Handbook of Guidelines में दिए गए दिशा-निर्देश के आलोक में FRA से संबंधित प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

12/3/2021
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 572

दिनांक 13.4.2021

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/महाप्रबंधक, बी०सी०सी०एल०, बास्ताकोला क्षेत्र, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि पत्र में राज्य सरकार द्वारा यचित FRA से संबंधित प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही प्रतिवेदन सहित) यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

13-4